न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस)

निर्णय दिनांक 09/03/2018

प्रकरण संख्या 215/06

दायर दिनांक 22.08.2006

उनवान

1. डालाराम,
2. उमराव,
3. भगवाना,
4. मेहरचन्द पुत्रान गोरधन जाति कुम्हार निवासी जौनाल तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.) —: **वादीगण**

बनाम

1. गुलाबमल पुत्र जेठामल जाति खत्री (फौत)

1/1 टीकमदास,

1/2 थावरदास,

1/3 जमनादास,

1/4 नारायणदास,

1/5 परमानन्द जाति खत्री निवासी जौनाल तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

—: **प्रतिवादीगण**

दावा इश्तकाररहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री रामफल यादव
अभिभाषक वादीगण

निर्णय दिनांक

वादीगण ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जौनाल साबिक आराजी खसरा नम्बर 299 रकबा 2.15 बीघा जिसमें से

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

2.02 बीघा प्रतिवादी की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि थी जिसकी सनद नम्बर 261 दिनांक 13/09/1965 को प्रतिवादी ने प्राप्त की थी एवं बाद सनद प्राप्ति के 2000/– में हम वादीगण को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा दिनांक 20/06/1968 को बाजाप्ता बाकब्जा बेंचान कर दिया तथा वक्त खरीद साबिक खसरा नम्बर 299 रकबा 2.15 बीघा को हाल खसरा नम्बर 405 रकबा 3.00 बीघा में शामिल कर दिया गया है । इस हाल खसरा नम्बर 405 रकबा 3 बीघा के रकबा 2.02 बीघा पर हम वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की जरिये रजिस्ट्रड बयनामा खरीद शुद्वा भूमि है। इस प्रकार बैयनामा के हम वादीगण का नाम 2.02 बीघा का राजस्व रिकार्ड में अंकन होना चाहिए था किन्तु प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियान से मिलकर हम वादीगण के नाम महज 1.10 बीघा का ही अंकन दर्ज होने दिया, बाकि भूमि बदस्तुर कर ली जो अंकन सारहीन एवं खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका है।

अतः ग्राम जौनाल हाल आराजी नम्बर 405 रकबा 3 बीघा में से वादीगण को 2.02 बीघा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो अंकन निस्फ भाग का प्रतिवादी के नाम का चला आ रहा है उसे हफज किया जाकर वादीगण का नाम 2.02 बीघा में बहेस्यित खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करा प्रतिवादी गण की जरिये सम्मन एवं रजिस्ट्रड सम्मन तलबी की गई। तलबी नहीं होने से सम्मन/नोटिस राष्ट्रीय अखबार में साया कराया गया। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी संख्या–2 राजस्थान सरकार की ओर से भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कोटकासिम ने जबाब दावा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि विवादित भूमि खातेदारी की है जो वादीगण ने जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा दिनांक 26/06/1968 से खरीद की हुई है पक्षकारों का आपसी विवाद है राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है।

वादी ने साक्ष्य बतौर श्री डालाराम पुत्र गोरधन (वादी) P.W.1, श्री मातादीन पुत्र सावंल सिंह जाति राजपूत निवासी जौनाल P.W.2 व श्री जगदीश पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी जौनाल P.W.3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजों में प्रदर्श– 1 असल बैयनामा, प्रदर्श – 2 सनद पटटा, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श –4 नकल जमाबंदी सवंत 2029, प्रदर्श –5 नकल जमाबंदी संवत 2059–62 तथा प्रदर्श–6 अखबार साया पेश किया।

विदवान अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। श्री दयाराम पुत्र मेधाराम जाति खत्री निवासी जौनाल ने खातेदारी सनद पटा संख्या 261(65) दिनांक 13/09/1965 वाके ग्राम जौनाल अन्य आराजियात के साथ साबिक आराजी नम्बर 299 मिन. रकबा 2.02 बीघा कुल किता 3 रकबा 16 बीघा का भूमि किमत जमा करा खातेदारी प्राप्त कि है व खातेदारी सनद पटटा प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

के पश्चात विवादित भूमि साबिक आराजी नम्बर 299 मिन रकबा 2.02 बीघा जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा दिनांक 20.06.1968 वादीगण को बैचान की गई है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 अनुसार हाल आराजी नम्बर 405 रकबा 3 बीघा में साबिक नम्बर 299 रकबा 2.15 बीघा शामिल किया जाकर मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 में गुलाब पुत्र जेठामल दयाराम पुत्र मेघाराम कौम पुरूषार्थी खत्री समभाग गैर खातेदार आराजी खसरा नम्बर 405 रकबा 3 बीघा दर्ज किया व जमाबंदी संवत 2059 से 2062 में गुलाबमल पुत्र जेठालाल खत्री 1/2 डालाराम, उमराव, भगवान मेहरचन्द पिता गोरधन (वादीगण) समभाग 1/2 कुम्हार साकिन देह खातेदार है। इस प्रकार वादीगण के हक में 1.10 बीघा दर्ज हुआ है जबकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार इस हाल खसरा नम्बर में साबिक खसरा नम्बर 299 का रकबा 2.15 बीघा शामिल किया गया है जिससे वादीगण का रकबा 2.02 बीघा है और यह रकबा खातेदारी का होकर वादीगण ने जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा खरीद किया हुआ है। इस प्रकार हाल आराजी नम्बर 405 के रकबा 3 बीघा में 2.02 बीघा वादीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होना चाहिए।

अतः वादीगण का वाद इस प्रकार डिग्री किया जाता है कि ग्राम जौनाल हाल आराजी नम्बर 405 रकबा 3.00 बीघा में से वादीगण को 2.02 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अंकन निस्फ भाग का प्रतिवादी–1 के नाम चला आ रहा है उसे हफज किया जाकर वादीगण का नाम 2.02 बीघा में बहेसियत खातेदार दर्ज रिकार्ड हो। तदनुसार पर्चा डिग्री मुर्तिब हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09/3/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
215/06	22.08.2006	09/03/2018

अनुवान

1. डालाराम
2. उमराव,
3. भगवाना,
4. मेहरचन्द पुत्रान गोरधन जाति कुम्हार निवासी जौनाल तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)

बनाम

1. गुलाबमल पुत्र जेठामल जाति खत्री (फौत)

1/1 टीकमदास

1/2 थावरदास

1/3 जमनादास

1/4 नारायणदास,

1/5 परमाचन्द जाति खत्री निवासी जौनाल तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री रामफल यादव
अभिभाषक वादीगण

अतः वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम जौनाल हाल आराजी नम्बर 405 रकबा 3.00 बीघा में से वादीगण को 2.02 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अंकन निस्फ भाग का प्रतिवादी–1 के नाम चला आ रहा है उसे हफज किया जाकर वादीगण का नाम 2.02 बीघा में बहेसियत खातेदार दर्ज रिकार्ड हो। तदनुसार पर्चा डिग्री मुर्तिब हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09/03/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

संशोधित

27/3/18 वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम जोनाक हाल आराजी नम्बर 405 रकबा 3-00 बीघा में से वादीगण को 0-12 (0.12) बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अंकन निष्पादन भाग का प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो रहा है उसे इस हद तक खारिज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन इन्द्राज हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आलादीन वगैरा v/s गुलाबमल

27/3/18 वादी/डिक्रीदार ने कार्य अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 9/3/2018 को निर्णय पारित कर पर्चा डिक्री बनाई है जिसमें कायिक आराजी नम्बर 291 रकबा 2.15 बीघा जिसका हाल आराजी नम्बर 402 रकबा 3.02 बीघा है जिसमें डिक्रीदार/वादीगण को मय गुलाबमल पुत्र खेतामल कौम रंगड़ी का नाम दर्ज किया जाना था जबकि 2.02 बीघा का खातेदार वादीगण/डिक्रीदार को कर दिया गया। शेष 1/2 भाग जहां हम खातेदार थे वो हिस्सा हमने दाता विद्यादेवी पत्नि श्याम, नागेदेवी पत्नि प्रेमचन्द, भंवरी देवी पत्नि सोहनलाल के हक में बेचान कर दिया था और उनका इन्द्राज कराई डिक्री नहीं चाही गई है। इसलिए कृपा उक्त निर्णय व पर्चा डिक्री में जहां पर गुलाबमल पुत्र खेतामल कौम रंगड़ी 1/2 भाग का नाम दर्ज कर वादीगण/डिक्रीदारान को उस भाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। से संशोधित निर्णय व पर्चा डिक्री में किया जाने की आज्ञा दी जावे।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर मूल पत्रावली तलब की जाकर अवलोकन किया एवं अभिभाषक वादीगण/डिक्रीदार को सुना गया।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

निरन्तर-2

Scanned by CamScanner

एवं डिक्री दिनांक 9/3/18 ग्राम भोनाल हाल आराजी नं. 405 रकबा 3.00 बीघा में से वादीगण को 2.02 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जो अंकन निजी भाग का प्रतिवादी-1 के नाम चला आ रहा है उसे इन्द्राज किया जाकर वादीगण के नाम 2.02 बीघा में बतौर खातेदार की रिकार्ड होने के आदेश दिये गये। जबकि दौराने दावा ~~[illegible]~~ C.A. वादीगण अपने नाम की 1/2 हिस्से अनुसार 1.10 बीघा भूमि का चमेली पत्नि ओंकारसिंह, लेहरादेवी पत्नि श्यामसुन्दर, गंगादेवी पत्नि रामस्वरूप ~~[illegible]~~ भंवरीदेवी पत्नि जोधलाल पति कजोड़ निवासी रोहूसीलाव तहसील सिकराय को बेचान कर चुके है जिनका हाल जमाबन्दी में अंकन हो रहा है। अब शेष (वादीगण (0.12 बीघा)) ~~0.07~~ बीघा भूमि बाबत वादीगण के खातेदार रहते हैं जो वादीगण के नाम खातेदारी हक से ही रेकार्ड होनी चाहिए।

अतः दिनांक 9/3/2018 को जारी आदेश एवं डिक्री इस प्रकार संशोधित की जाती है।

"वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम भोनाल हाल आराजी नम्बर 405 रकबा 3.00 बीघा में से वादीगण को (0.12 बीघा) ~~0.07~~ बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अंकन निजी भाग का प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम हो रहा है, उसे इस हद तक इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हो। C.A.

संशोधित आदेश आज दिनांक 27/3/18 को सुनाया [illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी [illegible]